प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 996/2023

राकेश कुमार रात्रे पिता इतवारी कुमार रात्रे, आयु लगभग 18 वर्ष, निवासी– ग्राम बिरगाहनी, थाना बलौदा, जिला – जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)।

---- आवेदक

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना प्रभारी, थाना–बलौदा, जिला– जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)।

---- अनावेदक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक के लिए : श्री सुमित सिंह ।

राज्य के लिए : श्री विनोद टेकम, पैनल अधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

पीठ पर आदेश

03 / 11 / 2023

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत दायर इस दांडिक पुनरीक्षण में, आवेदक/अभियुक्त ने प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो), जिला–जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़ द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 36/2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत आवेदक/अभियुक्त द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी, पामगढ़, जिनके द्वारा अभियोक्त्री का बयान धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया था को बचाव साक्षी के रूप में बुलाने के लिए आवेदन किया गया था, को खारिज कर दिया गया है।

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि अभियुक्त/आवेदक पर आरोप है कि उसने लगभग 15 वर्ष की आयु की अभियोक्त्री को लुभाया और शादी के बहाने उसे अपने साथ ले गया और कई बार उसके

साथ शारीरिक संबंध बनाए। अभियोक्त्री को आवेदक के कब्जे से बरामद किंया गया था। अपराध क्रमा क 145/2022, थाना – बलौदा में दर्ज किया गया था और अभियोग पत्र दायर किया गया था। आरोप विरचित करने के बाद अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था। प्रकरण को बचाव पक्ष के साक्ष्य के लिए नियत किया गया था। बचाव पक्ष के साक्ष्य के स्तर पर जब अभियुक्त ने एक आवेदन प्रस्तुत किया, तो आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

3. अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण के दौरान न्यायालयीन कथन में अभियोक्त्री ने अभियोजन मामले के समर्थन में अतिरंजित बयान दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत, अभियोक्त्री का बयान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 11/05/2022 को दर्ज किया गया था, जिसमें अभियोक्त्री ने अभियुक्त के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। विचारण के दौरान, जब अभियोक्त्री का सामना उसके बयान (प्रदर्श–पी/8) से कराया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यायिक दंडाधिकारी को ऐसा बयान नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में, अभियुक्त/आवेदक के लिए न्यायिक दंडाधिकारी का बयान विचारण न्यायालय में बचाव पक्ष के गवाह के रूप में दर्ज करना आवश्यक हो गया है, जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया है। लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया है, जो सही और उचित नहीं है और उन्हें सुनवाई का पूरा अवसर नहीं मिल रहा है। इसलिए, न्याय के हित में, दांडिक पुनरीक्षण को स्वीकार करते हुए आक्षेपित आदेश को आपस्त किया जाए और संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी को बचाव साक्षी के रूप में बुलाने की अनुमति दी जाए। अपने तर्क के समर्थन में आवेदक के अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पी. युवाप्रकाश बनाम राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 846** के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आलोक में आक्षेपित आदेश न्यायसंगत और उचित है और पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के लिए प्रार्थना किया।

5. दोनों पक्षकारों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. अभिलेख के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 (प्रदर्श–पी/8) के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें अभियुक्त के खिलाफ अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं है, लेकिन विचारण के दौरान अभियोक्त्री ने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दिए गए उक्त बयान से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में, अभियुक्त/आवेदक के बचाव के लिए,

दस्तावेज़ प्रदर्श–पी/ 8, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पी. युवाप्रकाश (पूर्वोक्त)** के मामले की कण्डिका 29 और 30 में व्यक्त किए गए जिस दृष्टिकोण/अवधारणा का अवलंब लिया है वह निम्नानुसार है :–

29. विचारण न्यायालय का उपरोक्त अनुमान असमर्थनीय है। अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया कि न्यायिक दंडाधिकारी, जिसने बयान दर्ज किया को पेश नहीं किया गया है; हालाँकि, वह अधिकारी उपलब्ध था और इरोड में पदस्थ था। उसने विचारण के दौरान, बचाव साक्षी के रूप में गवाही दी है, और महत्वपूर्ण रूप से पीड़ित के बयान (प्रदर्श–पी/4) की सत्यता की पुष्टि करते हुए निम्नानुसार कथन किया है:

> "यह उक्त लड़की द्वारा स्वेक्षापूर्वक दिया गया एक सत्य कथन है। उक्त बयान दबाव में नहीं दिया गया था। यह सही है अगर यह कहा जाए कि (एम) ने अपने बयान में मुझसे कहा था कि मैं और मेरे पड़ोसी जो मेरे घर के पास में रहते थे, जिसे युवा प्रकाश नाम से जाना जाता है, पिछले डेढ़ साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम अक्सर फोन पर एक–दूसरे से बात करते थे, मुझे फोन पर बात करते देख मेरी दादी ने मेरे पिता को बताया था, मैंने चिंटी मारने वाले कीटनाशक का सेवन कर लिया था और आत्महत्या करने का प्रयास किया था।"

30. अभियोजन पक्ष ने इस गवाह का प्रतिपरीक्षण तक नहीं किया है। इन समग्र कारकों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की राय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया "एम" का बयान में घटनाओं का सच्चा वर्णन था। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब था कि उस पर कोई लैंगिक हमला नहीं हुआ था। इसलिए, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे। आक्षेपित निर्णय में अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के तहत आरोप निरस्त कर दिया गया। पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ–साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 के तहत उसके खिलाफ आरोपों को कायम नहीं रखा जा सकता है; इसलिए, विचारण न्यायालय के निष्कर्ष, यानी, दोषसिद्धि और लगाए गए दंड को आपस्त किया जाता है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त उपरोक्त दृष्टिकोण/अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त/आवेदक को मामले में अपना बचाव करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान(प्रदर्श–पी/8) की प्रामाणिकता को जानना आवश्यक हो जाता है , जिसे अभियोक्त्री ने विचारण के दौरान अपने बयान में नकार दिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है, वह बयान किस रूप में और कैसे दर्ज किया गया था। इस दृष्टिकोण से, विचारण न्यायालय के समक्ष संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी का बयान दर्ज करना उचित होगा।

8. इसलिए, इस दांडिक पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाता है। विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश को आपस्त किया जाता है। न्यायालय में संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी का बयान दर्ज किए जाने के लिए आवेदक/अभियुक्त की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, विचारण न्यायालय को इस संबंध में आगे विधिपूर्वक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।

9. दोनों पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे सुनवाई की अगली तारीख 24/11/2023 को सुबह 11.00 न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें।

10. इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख को आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरंत वापस भेजा जाए ।

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**